संख्या-103/2026/001/261/26-27-सिं-9-37 एसएवी/25

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊः दिनांकः 23 मार्च, 2026**

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-2701 मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान उत्तर प्रदेश को अनुदान की प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-4572/आई0बी0/वाल्मी/2025-26, दिनांक 09.02.2026 एवं शासनादेश संख्या–178/2025/001/622/25-27-सिं-9-37एसएवी/25, दिनांक 14.05.2025 एवं शासनादेश संख्या-473/2025/001 /1268/ 25-27-सिं-9-37 एसएवी/25, दिनांक 18.09.2025 एवं शासनादेश संख्या-574/2025/001/1885/25-27-सिं-9-37 एसएवी/25, दिनांक 15.12.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक-2701-80-800-08-जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान उ0प्र0 को अनुदान-20-सहायता अनुदान सामान्य(गैर वेतन) हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 600.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 **1,50,00,000.00** (**रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)** को आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त निर्गत धनराशि सम्बन्धित मुख्य अभियन्तागणों को आवंटित की जाएगी। किसी भी दशा में सम्बन्धित अधीक्षण/ अधिशासी अभियन्ता को धनराशि सीधे आवंटित नहीं की जाएगी । मुख्य अभियन्तावार आंवटित की गयी धनराशि की सूचना दस दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।

(3) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 ए में दिये गये सहायक अनुदान के सामान्य नियमों/स्थायी शासनादेशों का अनुपालन, कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि आहरित कर लें, स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपाजिट खाते में न रखने, उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाय।

(4) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का एकमुश्त आहरण न किया जाय, आवश्यकतानुसार धनराशि का कोषागार से किश्तों में आहरण सुनिश्चित किया जाय।

(5) अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित / वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-वी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी / विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

जाये। इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े, तो उसे तत्काल शासन/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये।

(7) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ**0**प्र**0** बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(8) उक्त धनराशि का व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 के प्रस्तर-2(6)(स) एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये **1,50,00,000(रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 094 **लेखाशीर्षक** 2701808000800 जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान उत्तर प्रदेश को अनुदान मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न सख्या-E-8-1159-X-2025-26, दिनांक 20 मार्च, **2026** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एंव दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक(वाल्मी), वाल्मी भवन, उतरेठिया, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1।
9. गार्डबुक।

आज्ञासे,
जगराम यादव
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है